

दिनांक-18.02.2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:-

1. विकास आयुक्त, बिहार
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार
3. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

**कार्यवाही संख्या (1):** वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-बाढ़ चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत जिलों/जल संसाधन विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में आवंटित की गई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के विभिन्न जिलों द्वारा बाढ़ के मददेनजर तथा राज्य के बाढ़ प्रभावित विभिन्न जिलों एवं आपदा मोचन बल के लिए इनफ्लेटेबुल मोटर बोट क्रय हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-बाढ़ चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत अधियाचनाएँ की गईं। इन मामलों में तुरन्त आवंटन देना आवश्यक होने के कारण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में निम्नानुसार राशि आवंटित की गई :-

(राशि ₹० लाख में)

क्र०	मद का नाम	जिला/विभाग	आवंटित राशि	विभागीय आवंटन पत्रांक/दिनांक	अधियाचना पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	2245-02-101-0001- निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	बेगूसराय	44.085	102(स०अनु०)/ 21.01.14	32 / 13.01.14	बाढ़ के मददेनजर पूर्व आवंटित राशि का 75 प्रतिशत से अधिक व्यय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवंटित
2	2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष- 21 03 - आहार / पथ्य	कटिहार	1000.00	59 / 29.11.13	1186/20.11.13	
		वैशाली	513.60		914/25.11.13	
		भोजपुर	700.00	61 / 16.12.13	407/05.12.13	
		खगड़िया	173.865	75 / 21.01.14	904/07.12.13	
		लखीसराय	12.00		716/14.12.13	
		बेगूसराय	200.00	76 / 23.01.14	32/13.01.14	
3	2245-02-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	सहरसा	18.00	105(स०अनु०)/ 30.01.14	26-1 / 23.01.14	बाढ़ के मददेनजर जिले से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अधियाचित राशि में से पूर्व से गत वर्ष तक दिये गए आवंटनों से जिलों में उपलब्ध राशि को घटाकर राशि आवंटित
		पटना	1.50	111(स०अनु०)/ 14.02.14	1460 / 12.11.13	बाढ़ के कारण सौंप के काटने से हुई मृत्यु के मददेनजर
4	2245-02-112-0003- आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव संयंत्रों तथा निकासन संयंत्रों का क्रय, विषय शीर्ष- 52 01 - मशीनें एवं उपस्कर	जल संसाधन विभाग	546.55	69 / 08.01.14	318/11.11.13	राज्य के बाढ़ प्रभावित विभिन्न जिलों एवं आपदा मोचन बल के लिए इनफ्लेटेबुल मोटर बोट क्रय हेतु

**प्रस्ताव:-** गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-बाढ़ चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत जिलों/जल संसाधन विभाग को उनके नाम के सामने अंकित वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित राशि की घटनोत्तर स्वीकृति विषयक प्रस्ताव में राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

**समिति का निर्णय:-** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त आवंटित राशि की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

**कार्यवाही संख्या (2):** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कतिपय जिलों में आयी बाढ़ से निपटने हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में राशि आवंटित करने के संबंध में।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत बाढ़ के आलोक में कुछ जिलों से विभिन्न मदों के अन्तर्गत अधियाचनाएँ प्राप्त हुई हैं। जिलों से प्राप्त अधियाचनाओं की मदवार विवरणी निम्नानुसार है:-

(राशि रू० लाख में)

क्र०	मद का नाम/शेष बजट उपबंध	विभाग/जिला	अधियाचित राशि	वर्ष 2012-13 तक के आवंटनों के विरुद्ध लंबित व्यय प्रतिवेदन की राशि	प्रस्तावित आवंटन की राशि	अधियाचना पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	2245-02-101-0001- नि:सहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (1726.9795)	वैशाली	34.77	0.00	34.77	126 / 06.02.14	
2	2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष- 21 03 - आहार /पथ्य (59.50579)	वैशाली	192.00672	0.00	192.00672	127 / 06.02.14	
		भोजपुर	737.03570	10.78	726.2557	69 / 08.01.14	
3	2245-02-101-0003- सतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (132.39)	अररिया	13.50	3.00	10.00	58 / 27.01.14	
		मुजफ्फरपुर	7.50	2.00	5.50	930 / 25.11.13	
		कटिहार	3.00	9.40	0.00	1175 / 16.11.13	
4	2245-02-118-0001- क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत / नये नावों का निर्माण, विषय शीर्ष- 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण (100.395)	पूर्णियाँ	281.36875	0.00	281.36875	22 / 10.01.14	175 अदद बड़ी नाव एवं 50 अदद मझौली नाव क्रय हेतु
		नालंदा	2.50	5.00	0.00	16 / 04.01.14	40 नावों के क्रय हेतु अतिरिक्त राशि

**प्रस्ताव:-** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02- बाढ़ चक्रवात आदि के उपर्युक्त लघु/उपशीर्षों के अंतर्गत जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अधियाचित राशि में से पूर्व से गत वर्ष तक संबंधित शीर्ष में दिये गए आवंटनों से जिलों में उपलब्ध राशि को घटाकर शेष बजट उपबंध के आलोक में राशि आवंटित करने तथा शेष अधियाचित राशि पुनर्विनियोग से प्रावधानित कराकर या अगले वित्तीय वर्ष के बजट उपबंध से आवंटित करने विषयक प्रस्ताव में राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है। सभी संबंधित जिलों से पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त शेष अधियाचित राशि आवंटित करने का भी आदेश दिया जा सकता है।

**समिति का निर्णय:-** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**कार्यवाही संख्या (3):** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्व वर्षों में आयी बाढ़ के मददेनजर गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के अंतर्गत प्राप्त अधियाचना के आलोक में राशि आवंटित करने के संबंध में।

गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के अंतर्गत बाढ़ के मददेनजर कतिपय जिलों से अधियाचनाएँ प्राप्त हुई हैं। जिलों से प्राप्त अधियाचनाओं, लंबित व्यय प्रतिवेदन की राशि एवं शेष बजट उपबंध की मदवार विवरणी निम्नानुसार है:-

(राशि ₹० लाख में)

क्र०	मद का नाम/शेष बजट उपबंध	विभाग/जिला	अधियाचित राशि	वर्ष 2012-13 तक के आवंटनों के विरुद्ध लंबित व्यय प्रतिवेदन की राशि	प्रस्तावित आवंटन की राशि	अधियाचना पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
2	2245-02-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (132.39)	भोजपुर	3.00	1.60	1.40	ज्ञापांक 57 / 06.02.14, 59 / 06.02.14 एवं 68 / 08.02.14	वर्ष 2011-12 की घटना हेतु
		कटिहार	2.00	9.40	0.00	1207 / 25.11.13	वर्ष 2011-12 की घटना हेतु

**प्रस्ताव:-** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के अंतर्गत जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अधियाचित राशि में से पूर्व से गत वर्ष तक संबंधित शीर्ष में दिये गए आवंटनों से जिलों में उपलब्ध राशि को घटाकर शेष बजट उपबंध के आलोक में राशि आवंटित करने विषयक प्रस्ताव में राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है। सभी संबंधित जिलों से पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त शेष अधियाचित राशि आवंटित करने का भी आदेश दिया जा सकता है।

**समिति का निर्णय:-** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**कार्यवाही संख्या (4):** जहानाबाद जिला में गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति एवं एस०डी०आर०एफ० टीम हेतु किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं आगामी आपदा व्यय हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को राशि आवंटित करने के संबंध में।

जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 155मु०/रा० दिनांक 03.12.2013 द्वारा यह सूचित किया गया है कि दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा एवं छठ पर्व में जिला तथा अंचलों के विभिन्न घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिनके मानदेय का भुगतान अन्य मदों से किया गया है। इसी प्रकार फाईलिन (Phailin) चक्रवाती तूफान के समय जिले में प्रतिनियुक्त एस०डी०आर०एफ० की टीम के भोजन, आवसन एवं वाहन से पूर्णियाँ जिला में भेजने पर हुए व्यय को भी अन्य मदों से किया गया है। उनके द्वारा यह सूचित करने हुए उक्त व्यय के समायोजन एवं आगामी आपदा व्यय के लिए गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण के अन्तर्गत ₹2.00 लाख की अधियाचना की गई है। उक्त मद के अन्तर्गत आवंटन हेतु यथेष्ट बजट उपबंध है।

**प्रस्ताव:-** जहानाबाद जिला में गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति एवं एस०डी०आर०एफ० टीम हेतु किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं आगामी आपदा व्यय हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को ₹2.00 लाख आवंटित करने विषयक प्रस्ताव में राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

**समिति का निर्णय:-** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही संख्या (5): वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में अग्निकांड के मद्देनजर गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-बाढ़ चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में राशि आवंटित करने के संबंध में।

अग्निकांड के मद्देनजर गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत कतिपय जिलों से अधियाचनाएँ प्राप्त हुई हैं। जिलों से प्राप्त अधियाचनाओं, लंबित व्यय प्रतिवेदन की राशि एवं बजट उपबंध की मदवार विवरणी निम्नानुसार है:-

(राशि ₹० लाख में)

क्र०	मद का नाम/शेष बजट उपबंध	जिला / विभाग	अधियाचित राशि	वर्ष 2012-13 तक के आवंटनों के विरुद्ध लंबित व्यय प्रतिवेदन की राशि	प्रस्तावित आवंटन की राशि	अधियाचना पत्रांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष- 21 03 - आहार/पथ्य (59.50579)	लखीसराय	6.383	0.00	6.383	560 / 12.12.13	
2	2245-02-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (132.39)	अररिया	1.50	2.00	0.00	58 / 27.01.14	
		कटिहार	3.00	4.00	0.00	1207 / 25.11.13	
		सहरसा	1.00	1.20	0.00	31-1 / 31.01.14	
		सुपौल	2.50	0.00	2.50	1556-2 / 17.12.13 & 34-2 / 13.01.14	
		समस्तीपुर	15.00	16.00	0.00	7 / 04.01.14	
		पूर्वी चम्पारण	1.50	1.20	0.30	80 / 30.11.13	
		वैशाली	5.50	0.00	5.50	900 / 14.11.13	
		सारण	5.00	2.00	3.00	778 / 27.12.13	
3	2245-02-101-0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (168.34785)	लखीसराय	7.365	0.00	7.365	560 / 12.12.13	
		मुजफ्फरपुर	8.00	16.56	0.00	4 / 25.01.14	
		पटना	8.95	3.23	5.72	1536 / 26.11.13	
		सारण	1.9775	4.74	0.00	778 / 27.12.13	
4	2245-02-101-0006- आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (689.6277)	दरभंगा	23.9125	10.606	13.3065	77 / 03.02.14 & 105 / 12.02.14	
		लखीसराय	15.81375	0.00	15.81375	560 / 12.12.13	
		पटना	1.82	1.82	0.00	1536 / 26.11.13	
		सारण	7.50	8.11	0.00	778 / 27.12.13	
5	2245-02-101-0007- आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (139.15518)	लखीसराय	10.324	0.00	10.324	560 / 12.12.13	
		मुजफ्फरपुर	20.00	7.78	12.22	4 / 25.01.14	
		पटना	25.6425	15.82	9.8225	1536 / 26.11.13	
		सारण	8.00	11.71	0.00	778 / 27.12.13	
6	2245-02-117-0003- जीवनोंपयोगी पशुओं का बदलाव, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (55.024)	दरभंगा	0.693	0.00	0.693	104 / 12.02.14	

**प्रस्ताव:-** अग्निकांड के मद्देनजर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अंतर्गत जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अधियाचित राशि में से पूर्व से गत वर्ष तक संबंधित शीर्ष में दिये

गए आवंटनों से जिलों में उपलब्ध राशि को घटाकर शेष बजट उपबंध के आलोक में राशि आवंटित करने तथा शेष प्रस्तावित राशि बिहार आकस्मिकता निधि / अनुपूरक आगणन से उपबंधित कराकर आवंटित करने विषयक प्रस्ताव में राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है। सभी संबंधित जिलों से पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त शेष अधियाचित राशि आवंटित करने का भी आदेश दिया जा सकता है।  
समिति का निर्णय:- राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**कार्यवाही संख्या (6) :-** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में पाईलिन (Phailin) चक्रवाती तूफान के मददेनजर जिलों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में विभिन्न मदों के अन्तर्गत राशि आवंटित करने के संबंध में।

पाईलिन (Phailin) चक्रवाती तूफान के मददेनजर जिलों द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत राशि की अधियाचना की गई है। जिलों से प्राप्त अधियाचना, मदवार शेष बजट उपबंध तथा प्रस्तावित आवंटन की राशि की विवरणी निम्नानुसार है:-

(राशि रु० लाख में)

क्र० सं०	मद/शेष बजट उपबंध	जिला	अधियाचित राशि	प्रस्तावित आवंटन की राशि	अधियाचना पत्रांक/दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	2245-02-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (132.39)	सहरसा	1.50	1.50	32-1/01.02.14	
2	2245-02-117-0002- दुधारू पशुओं का बदलाव,, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (10.7005)	सहरसा	0.656	0.656	ज्ञापांक 33/01.02.14	
3	2245-02-117-0003- जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव, विषय शीर्ष- 31 06 - सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (55.024)	सहरसा	0.10	0.10	ज्ञापांक 33/01.02.14	

**प्रस्ताव:-** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में पाईलिन (Phailin) चक्रवाती तूफान के मददेनजर उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत बजट उपबंध के आलोक में सहरसा जिला को प्रस्तावित राशि आवंटित करने विषयक प्रस्ताव में राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।  
समिति का निर्णय:- राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**कार्यवाही संख्या (7):** गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-एन०डी०एम०-1 दिनांक-28.11.2013 द्वारा संसूचित बिहार राज्य आपदा रिस्पौस कोष के व्यय हेतु संशोधित मानदर को लागू करने के संबंध में।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार बाढ़, सुखाड़, अग्निकांड, चक्रवात ओलापात, भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन (Avalanches), बादल फटना (Cloud Burst), सूनामी तथा कीट संक्रमण को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2010 से 2015 के बीच राज्य आपदा रिस्पौस कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पौस कोष (एस०डी०आर०एफ० एवं एन०डी०आर०एफ०) से व्यय हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 32-7/2011 -एन०डी०एम०-1 दिनांक 16.01.2012 द्वारा मानदर में संशोधन संसूचित है, जिससे विभागीय पत्रांक 1293 दिनांक-17.04.2012 द्वारा दिनांक-01.04.2012 के प्रभाव से राज्य में लागू किया गया है। भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-एन०डी०एम०-1 दिनांक-21.06.2013 द्वारा मानदर के मद संख्या-1 (e),

5 (i) B(a) & (b) and 5 (ii), 6(ii) & (iii) एवं 9 (a) (i) को संशोधित किया गया है। उक्त संशोधन को विभागीय पत्रांक -4154/आ0प्र0 दिनांक -18.09.2013 द्वारा दिनांक -15.08.2013 के प्रभाव से राज्य में लागू किया गया है।

पुनः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-एन0डी0एम0-1 दिनांक-28.11.2013 द्वारा मकान /आवास (Housing) से संबंधित मानदर के मद संख्या-9(a) पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चा मकान, 9(b) अत्यधिक क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा मकान; 9(c) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा मकान, 9(d) क्षतिग्रस्त/बर्बाद झोपड़ी एवं 9(e) मकान के साथ संलग्न पशु शेड हेतु निर्धारित मानदर को संशोधित किया गया है, जिसकी तुलनात्मक विवरणी निम्नांकित है:-

क्र० सं०	मद का नाम/ITEM	भारत सरकार के पत्र सं०-32-3/2013/एन0डी0एम0-1 दिनांक- 21.08.2013 द्वारा निर्धारित मानदर/ Norms of Assistance	भारत सरकार के पत्र सं०-32-3/2013/एन0डी0एम0-1 दिनांक- 28.11.13 द्वारा अद्यतन संशोधित मानदर/ Norms of Assistance
9	<b>HOUSING/ आवास/मकान</b>		
	<b>a) Fully damaged/ destroyed houses</b>		
	i) Pucca house	Rs. 70,000/- per house	Rs. 70,000/- per house, in Plain areas. Rs. 75,000/- per house, in hilly areas including Integrated Action Plan (IAP) districts.
	ii) Kutcha House	Rs. 15,000/- per house	Rs. 17,600/- per house
	<b>b) Severely damaged houses</b>		
	(i) Pucca house	Rs. 6,300/- per house	Rs. 12,600/- per house
	(ii) Kutcha house	Rs. 3,200 per house	Rs. 3,800/- per house
	<b>c) Partially damaged houses</b>		
	(i) Pucca (other than huts )where the damage is at least 15%.	Rs. 1,900 per house	Rs. 3,800/- per house
	(ii) Kutcha (other than huts )where the damage is at least 15%.	Rs. 1,900 per house	Rs. 2,300/- per house
	<b>d) Damaged/ destroyed huts:</b>	Rs. 2,500/- per hut	Rs. 3,000/- per hut
	<b>e) Cattle shed attached with house</b>	Rs. 1,250/-per shed	Rs. 1,500/- per shed.

भारत सरकार से प्राप्त पत्र को अनुलग्नक 'क' के रूप में रखी गई है। भारत सरकार द्वारा यह मानदर दिनांक-24.10.2013 के प्रभाव से लागू किया गया है।

**प्रस्ताव**-प्रस्ताव है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त राज्य आपदा रिस्पॉंस कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉंस कोष (एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0डी0आर0एफ0) से व्यय हेतु पूर्व

से प्रचलित मानदर की जगह भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-एन0डी0एम0-1 दिनांक-28.11.2013 द्वारा संसूचित नये संशोधित मानदर के अनुरूप मकान /आवास (Housing) से संबंधित मानदर के मद संख्या-9 (a) पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चा मकान, 9(b) अत्यधिक क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा मकान, 9(c) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा मकान, 9(d) क्षतिग्रस्त/बर्बाद झोपड़ी एवं 9(e) मकान के साथ संलग्न पशु शेड हेतु निर्धारित मानदर को दिनांक 01.03.2014 से संशोधित करते हुए राज्य में लागू किया जाय, जो दिनांक 01.03.2014 तथा उसके उपरान्त हुए प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा।

**समिति का निर्णय:-** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**कार्यवाही संख्या (8)-** सी0आर0एफ0 (एस0डी0आर0एफ0) /एन0सी0सी0एफ0 (एन0डी0आर0एफ0) के ऑकड़ों में आ रही भिन्नता के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के संबंध में।

ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में सी0आर0एफ0/एन0सी0सी0एफ0 के दिनांक 31.03.2005 का Closing Balance विवादित है। सी0आर0एफ0/एन0सी0सी0एफ0 का दिनांक 31.03.2005 को Closing Balance ₹478.371 करोड़ है, जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा 01.04.2005 को Opening Balance शून्य माना जा रहा है। महालेखाकार कार्यालय एवं विभागीय ऑकड़े में आ रही भिन्नता का एक कारण यह है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 से लगातार क्रेडिट एवं डेबिट का ऑकड़ा संधारित किया गया है, जबकि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-01 एवं 2005-06 में Opening Balance शून्य माना गया है। इस प्रकार ऑकड़ों में भिन्नता का कारण उनके संधारण के तरीके को लेकर है। उल्लेखनीय है कि सी0आर0एफ0 (एस0डी0आर0एफ0) /एन0सी0सी0एफ0 (एन0डी0आर0एफ0) की राशि में आयी भिन्नता से वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में दिनांक 23.08.2012 को संपन्न बैठक में राज्य कार्यकारिणी समिति को अवगत कराया गया। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा दिये गए निदेशानुसार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार को स्थिति से अवगत कराते हुए यथोचित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।

इस विवाद को Committee on Disputes, Government of India के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संचिका के माध्यम से वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में भारत सरकार द्वारा संभवतः Committee on Disputes को समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में किसी Legal Forum में जाने हेतु पुनः संचिका के माध्यम से वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग यदि चाहे तो एक बार भारत सरकार अथवा सक्षम Forum पर प्रयास करे।

दिनांक 30.07.2013 को राज्य कार्यकारिणी समिति को उपर्युक्त तथ्य से अवगत कराते हुए सी0आर0एफ0 (एस0डी0आर0एफ0) /एन0सी0सी0एफ0 (एन0डी0आर0एफ0) के ऑकड़ों में आ रही भिन्नता के संबंध में मार्ग दर्शन की मांग की गई। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा यह निदेशित किया गया कि वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। उक्त निदेश के आलोक में पुनः परामर्श हेतु संचिका वित्त विभाग भेजी गई। वित्त विभाग द्वारा पुनः यह परामर्श दिया गया है कि प्रशासी विभाग चाहे तो भारत सरकार अथवा सक्षम फोरम पर सी0आर0एफ0 (एस0डी0आर0एफ0) /एन0सी0सी0एफ0 (एन0डी0आर0एफ0) के ऑकड़ों में भिन्नता के निराकरण हेतु प्रयास करें।

**प्रस्ताव-** उपर्युक्त के आलोक में सी0आर0एफ0 (एस0डी0आर0एफ0) /एन0सी0सी0एफ0 (एन0डी0आर0एफ0) के ऑकड़ों में आ रही भिन्नता के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति का मार्गदर्शन प्रार्थित है।

**समिति का निर्णय:-** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा यह निदेशित किया गया कि उपर्युक्त प्रस्ताव को राज्य कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

कार्यवाही संख्या (9) :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 02- बाढ़ चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों में आवंटित राशि के विरुद्ध पूर्व में डेबिट की गई राशि के अतिरिक्त प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि को मुख्य बजट शीर्ष- 8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 122- आपदा राहत निधि, उपशीर्ष- 0001- राज्य आपदा रिसर्च कोष, समूह शीर्ष - व्यय के अन्तर्गत डेबिट करने की स्वीकृति के संबंध में।

गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 02- बाढ़ चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/ उपशीर्षों के अन्तर्गत अभी तक विभिन्न जिलों से वित्तीय वर्ष 2013-14 में अद्यतन प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार पूर्व में डेबिट की गई राशि के अतिरिक्त निम्नवत् डेबिट योग्य राशि है:-

(राशि ₹0 करोड़ में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	शीर्ष	अद्यतन प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि	पूर्व में डेबिट की गई राशि	डेबिट हेतु प्रस्तावित राशि
1	2013-14	02- बाढ़ चक्रवात आदि (बाढ़)	86.8722489	47.48293	39.3893189

दिनांक 31.03.2010 को आपदा राहत कोष में उपलब्ध शेष जमा राशि ₹ 163.6926782 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के पश्चात क्रेडिट एवं डेबिट की गई राशि की अद्यतन विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि रुपये करोड़ में)

31.03.2010 का अंत शेष	क्रेडिट की राशि / स्वीकृत्यादेश सं0	डेबिट / निवेश की राशि / स्वीकृत्यादेश सं0	अधिशेष राशि	अभ्युक्ति
163.6926782	83.725 (1373 ढिं- 07.06.10)	—	247.4176782	2009-10 का द्वितीय किस्त
	267.48 (1063 ढिं-29.04.10)	—	514.8976782	सुखाड 2009 के लिए एन0सी0एफ0 से प्राप्त राशि
	334.49 (1026 ढिं- 31.03.11)	—	849.3876782	एस0डी0आर0एफ0 2010-11 की दोनों किस्ते
	368.01 (1024/ ढिं-31.03.11)	—	1217.3976782	सुखाड-2010 एवं चक्रवाती तूफान-2010 हेतु एन0 डी0 आर0 एफ0 से प्राप्त राशि
	—	5.79355 (891/08.04.10)	1211.6041282	
	—	47.4161 (1064 ढिं-29.04.10)	1164.1880282	
	—	60.0072(1374 ढिं-07.06.10)	1104.1808282	
	—	44.53041(1025A ढिं-31.03.11)	1059.6504182	
	—	10.51556(1025 ढिं-31.03.11)	1049.1348582	
	—	430.54573 (2584 दिनक 05.08.11)	618.5891282	
	—	14.4907377 (3346 दिनक 23.09.11)	604.0983905	
	—	10.2795666 (1069 दिनक 30.03.12)	593.8188239	
	—	31.8102263 (1070 दिनक 30.03.12)	562.0085976	



	175.605 (1033 दिनांक 28.03.12)	—	737.6135976	
	175.605 (187 दिनांक 13.07.12)	—	913.2185976	
	—	43.6198086 (188 दिनांक 13.07.12)	869.5987890	
	—	62.4365504 (232 दिनांक 23.08.12)	807.1622386	
	184.385 (275 दिनांक 20.09.12)	—	991.5472386	
	—	37.4776559 (276 दिनांक 20.09.12)	954.0695827	
	—	91.2026552 (870 दिनांक 01.03.13)	862.8669275	
	—	-2.25 (1043 दिनांक 13.03.13)	865.1169275	
	184.385 (1151 दिनांक 20.03.13)	—	1049.5019275	
	—	33.7020374 (1240 दिनांक 26.03.13)	1015.7998901	
	—	43.5317939 (2164 दिनांक 31.05.13)	972.2680962	
	193.605 (3061 दिनांक 22.07.13)	—	1165.8730962	
	—	378.20 (249 दिनांक 19.09.13)	787.6730962	निवेश की राशि
	—	52.6672472 (4842 दिनांक 29.10.13)	735.005849	
	—	30.9472516 (164 दिनांक 16.01.14)	704.0585974	
	193.605 (548 दिनांक 13.02.14)	—	897.6635974	

उपर्युक्त अधिशेष राशि ₹ 897.6635974 करोड़ में से प्रस्तावित राशि ₹39.3893189 करोड़ डेबिट होने के एश्चात निवेश की गई राशि ₹378.20 करोड़ के अतिरिक्त अधिशेष राशि ₹858.2742785 करोड़ रह जायेगी।

**प्रस्ताव:-** वित्तीय वर्ष 2013-14 का गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 02-बाढ़ चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों में जिलों से प्राप्त अद्यतन उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर कुल ₹39.3893189 करोड़ (उनचालीस करोड़ अड़तीस लाख तिरानवे हजार एक सौ नवासी रुपये) को मुख्य बजट शीर्ष- 8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ , उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 122- आपदा राहत निधि, उपशीर्ष- 0001- राज्य आपदा रिस्पॉस कोष, समूह शीर्ष - व्यय विपत्र कोड-एल8121001220001 के अन्तर्गत डेबिट करने विषयक प्रस्ताव में राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

**समिति का निर्णय:-** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ह0/-  
प्रधान सचिव  
आपदा प्रबंधन विभाग,  
बिहार

ह0/-  
प्रधान सचिव  
वित्त विभाग  
बिहार

ह0/-  
विकास आयुक्त  
बिहार

ह0/-  
मुख्य सचिव  
बिहार

2. The Relief Commissioners / Secretaries, Department of  
Disaster Management of all States

**Subject: - Items and Norms of assistance from the State Disaster Response Fund (SDRF) and the National Disaster Response Fund (NDRF) for the period 2010 – 2015.**

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 32-3/ 2012-NDM-I, dated 21<sup>st</sup> November 2013 regarding forwarding the list of revised items and norms from assistance from SDRF/ NDRF in the wake of identified natural disasters.

2. It has now been decided to further revise the norms in respect of S. No. 9 (a) i.e. fully damaged kutcha houses (b) i.e. severely damaged pucca/ kutcha houses (c) i.e. partially damaged pucca/ kutcha houses (d) i.e. damaged/ destroyed huts and (e) i.e. cattle sheds attached with the houses. Similarly, the norms are revised in respect of fully damaged pucca houses in hilly areas or in the Integrated Action Plan (IA<sup>2</sup>) districts.

3. These revised norms, as cited above, will be prospective effective from 24<sup>th</sup> October 2013. The revised items and norms can also be downloaded from website of Disaster Management Division of Ministry of Home Affairs i.e. [www.ndmindia.nic.in](http://www.ndmindia.nic.in).

4. Accordingly, a copy of further modified/ revised items and norms of assistance from SDRF/ NDRF in the wake of identified natural disasters is **Annexed**.

5. This supersedes this Ministry's earlier letters on this subject, the last being No. 32-3/ 2013-NDM-I dated the 21<sup>st</sup> June, 2013.

Yours faithfully,



(Goutam Ghosh)

Deputy Secretary to the Govt. of India

Telefax: 23438123

**Encl:** As above

**LISTED LIST OF ITEMS AND NORMS OF ASSISTANCE FROM STATE DISASTER RESPONSE FUND (SDRF) AND NATIONAL DISASTER RESPONSE FUND (NDRF)**

(Period 2010-15, MHA Letter No. 32-7/2011-NDM-1 Dated 16<sup>th</sup> January 2012, modified vide letter No. 32-3/2012-NDM-1, dated 28<sup>th</sup> September 2012, modified vide letter No. 32-3/2013-NDM-1, dated 21<sup>st</sup> June 2013, 28<sup>th</sup> November 2013)

SNO.	ITEM	NORMS OF ASSISTANCE
1	2	3
1	<b>GRATUITOUS RELIEF</b>	
	a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons.	<p><b>Rs.1.50 lakh per deceased person</b> including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In the case of an Indian citizen who loses his life due to a notified natural calamity in a foreign country, his family would not be paid this relief.</li> <li>- In the case of a Foreign citizen who loses his life due to a notified natural calamity within the territory of India, his family would also not be paid this relief.</li> </ul>
	b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s).	<p><b>Rs. 43,500/-</b> per person, when the disability is between 40% and 80%.</p> <p><b>Rs. 62,000/-</b> per person, when the disability is more than 80%.</p> <p>Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability.</p>
	c) Grievous injury requiring hospitalization	<p><b>Rs. 9,300/-</b> per person requiring hospitalization for more than a week.</p> <p><b>Rs. 3,100/-</b> per person requiring hospitalization for less than a week.</p>
	d) Clothing and utensils/ household goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity.	<p><b>Rs.1,300/-</b> per family, for loss of clothing.</p> <p><b>Rs.1,400/-</b> per family, for loss of utensils/ household goods.</p>
	e) Gratuitous relief for families in dire need of immediate sustenance after a calamity.  GR to be provided to those who have no food reserves, or whose food reserves have been wiped out in a calamity, and who have no other immediate means of support.	<p><b>Rs. 40/-</b> per adult and <b>Rs. 30/-</b> per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise.</p> <p>Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack.</p>

	authority of the State Government.)	
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	(Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary-under any other Government Scheme)
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	Rs. 25,000/- per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.
B.	Input subsidy (where crop loss is 50% and above)	Rs. 4,500/- per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas.
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	Rs. 9,000/- per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.750 and restricted to sown areas.
	b) Perennial crops	Rs. 12,000/- ha. for all types of perennial crops subject to minimum assistance not less than Rs. 1500/- and restricted to sown areas.
	c) Sericulture	Rs. 3,200/- per ha. for Eri, Mulberry, Tussar Rs. 4,000/- per ha. for Muga.
(ii)	Input subsidy to farmers other than small and marginal farmers	Rs. 4,500/- per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs. 9,000/- per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas. Rs. 12,000/- per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas. - Assistance may be provided where crop loss is 50% and above, subject to a ceiling of 1 ha. per farmer and upto 2 ha per farmer in case of successive calamities irrespective of the size of holding being large.
6.	<b>ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS</b>	
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	<b>Milch animals -</b> Rs.16,400/- Buffalo/ cow/ camel/ yak etc. Rs.1650/- Sheep/ Goat <b>Draught animals -</b> Rs.15000/- Camel/horse/ bullock, etc. Rs.10,000/- Calf/ Donkey/ Pony/ Mule
		- The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 1 large milch animal or 4 small milch animals or 1 large draught animal or 2 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government).
		<b>Poultry:-</b> Poultry @ 37/- per bird subject to a ceiling of assistance of Rs 400/- per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity.
		<b>Note:-</b> Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for

	i) Pucca House	Rs. 12,600/- per house
	ii) Kutcha House	Rs. 3,800/- per house
	(c) Partially Damaged Houses -	
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is at least 15 %	Rs. 3,800/- per house
	(ii) Kutcha (other than huts) where the damage is at least 15 %	Rs. 2,300/- per house
	d) Damaged / destroyed huts:	Rs. 3,000/- per hut, <i>(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)</i>
	e) Cattle shed attached with house	Note: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government. Rs.1,500/- per shed.
10	<b>INFRASTRUCTURE</b> <i>Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure:</i>  (1) Roads & bridges (2)Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5)Schools, (6)Primary Health Centres, (7) Community assets owned by Panchayat.  Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded.	<i>Activities of immediate nature :</i>  Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed Appendix.  <i>Assessment of requirements :</i>  Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).  - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are  ● Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR).  ● Hills: upto 20% of total of OR and PR.  Note: States shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair.
11	<b>PROCUREMENT</b>  Procurement of essential search, rescue and evacuation equipments including communication equipments, etc. for response to disaster.	- Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC).  - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग, पटना

ज्ञापांक ...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-  
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,  
बिहार/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(संदीप कुमार)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक ...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-  
प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

ज्ञापांक 725...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/2/14  
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव (विधायी)/ विशेष कार्य  
पदाधिकारी (योजना) / विशेष कार्य पदाधिकारी (प्राकृतिक आपदा)/सभी संबंधित जिला पदाधिकारियों  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी